वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया के पुनरीक्षण के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा श्री श्यामलाल शकधर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मार्च, 1993 में अपनी रिपोर्ट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत कर दी थी। समिति की एक सिफारिश के आधार पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 में संशोधन करने का एक प्रस्ताव भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जनवरी, 1994 में सरकार को भेजा गया था।

(ख) समिति की सिफारिशें संक्षेप में नीचे दी गई हैं:—

(1) उन लेखापरीक्षा रिपोर्टों संबंधी संव्यवहार के लिए केन्द्रीय प्रक्रिया को लागू करना जिनमें, यह दर्शाते हुए कि क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का प्रस्ताव है, लेखापरीक्षा रिपोर्टों में आए पैराग्राफों/पुनरीक्षणों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां तीन महीने की अवधि में स्वतः प्रस्तुत किया जाना तथा केवल चुनिंदा पैराग्राफों/पुनरीक्षणों के बारे में मौखिक साक्ष्य प्राप्त करना शामिल है। विचार विमर्श के लिए न चुने गए पैराग्राफों को अनुवर्ती वर्षों में अग्रानीत नहीं किया जाएगा।

(2) लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों के लिए छः महीने की समयसीमा निर्धारित करना/की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों की महालेखाकार द्वारा भी संवीक्षा की जानी चाहिए।

(3) विनियोग लेखों में टिप्पणियों के लिए बजट प्रावधानों की तुलना में व्यय आधिक्य अथवा बचतों के संबंध में निर्धारित सीमाओं का पुनरीक्षण।

(4) लेखापरीक्षा रिपोर्टों का दो महीने की अवधि के भीतर मुद्रण।

(5) लेखापरीक्षा और सार्वजनिक उपक्रम समिति/लोक लेखा समिति के प्रति सरकारी प्रतिक्रिया के अनुवीक्षण के लिए सरकार में समुचित तंत्र की स्थापना।

Review of Guidelines regarding Issuance of EURO Issues by Private Firms

976. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether with a view to inviting foreign investment in infrastructure and other sectors of economy, Government have reviewed and revised the guidelines regarding issuance of Euro-issues by private firms; and

(b) if so, the details thereof, indicating how far the fresh guidelines represent an improvement over the earlier guidelines?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) With a view to increase the mobilisation of foreign capital in the international capital markets for infrastructure and other sectors of the economy, and on the basis of periodic review and assessment of the current economic situation, the Government has announced through a press Note, on 19th June, 1996, revised Guidelines, for Euro issues by Indian Companies. The Guidelines, *inter-alia*, provide for:

(i) Relaxation in track record requirement for Indian Companies raising Euro issues to finance investments in infrastructure projects;

(ii) Removal of restriction on the number of Euro issues which may be floated by a company or Group of Companies in a financial year;

(iii) Broadening the areas of deployment of issues proceeds;

(iv) Permitting Banks, Financial Institutions and Non-Banking Finance Companies (registered with Reserve Bank of India) to

float GDR issues with the restriction that the issue proceeds shall not be deployed in stock markets and real estate sector.

Giving Raw Deal to Urdu and Urdu Programmes in All India Radio and Doordarshan

977. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Urdu, Urdu Programmes and Urdu staff are being given a raw deal in AIR and Doordarshan;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken to improve the conditions for Urdu, Urdu Programmes and Urdu staff in AIR and Doordarshan?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Improvement in the quality of programmes of All India Radio and Doordarshan is a continuing process.

बौद्ध सरकिट योजना

978. श्री नगेन्द्र नाथ ओझा: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में बौद्ध धार्मिक-स्थलों पर आने वाले पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु कुछ अन्य देशों की सहायता से बौद्ध सरकिट योजना चल रही है;

(ख) यदि हां, तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से बौद्ध धार्मिक-स्थलों पर इस प्रकार की योजनाएं अभी चल रही हैं; और

(ग) इन योजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय हुई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध यात्रा परिपथों को अभिनिर्धारित करने सहित आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए दिसम्बर 1988 में जापान के आर्थिक सहायता कोष (ओ ई सी एफ) के साथ एक आसान ऋण करार किया है। इसकी वित्तीय सहायता 7.76 बिलियन जापानी येन है।

उत्तर प्रदेश में सारनाथ, कुशीनगर, पिपरहवा और श्रावस्ती तथा बिहार में बोधगया, नालन्दा, राजगीर एवं वैशाली स्थलों को अभिनिर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को सुदृढ़ करना, स्थानीय सड़कों का सुधार भू-दृश्यांकन जल और विद्युत आपूर्ति का विकास करना, मार्गस्थ सुख-सुविधाओं का निर्माण करना इस परियोजना के प्रमुख घटक हैं।

इस परियोजना के अन्तर्गत आने वाला सम्पूर्ण कार्य प्रगति पर है।

(ग) विदेशी आर्थिक सहायता कोष ऋण अग्रिम रूप से उपलब्ध नहीं है। कार्यान्वयन अभिकरण यथा राज्य सरकारों को पहले अपने संसाधनों से व्यय करना पड़ता है और बाद में विदेशी आर्थिक सहायता कोष से प्रतिपूर्ति का दावा करना होता है। विदेशी आर्थिक सहायता कोष द्वारा 45.85 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में परियोजना के लिए और 43.60 करोड़ रुपए बिहार परियोजना के लिए पहले ही प्रतिपूर्ति कर दी गई है।

Realisation from Deep Discount Bonds

979. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the total realisation during 1993-94, 1994-95 and 1995-96 from the deep discount bonds issued by a number of public financial institutions;

(b) the loss of potential revenue in these years because of the provisions of tax exemption approved for investment in these bonds; and

(c) the effective annual rate of interest reflected in these bonds?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) The Industrial Development Bank of India (IDBI) and Industrial Finance Corporation of India Ltd. (IFCI) have re-